


114



शुल्क प्रमाणिका क्र. 2285/14  
प्रस्तुत दिनांक 15/04/19  
पेशी दिनांक 15/04/19

माननीय अध्याक्ष महोदय, राजस्व मंडल, इंदौर के राक्ष

पुनर्स्थापन-0530/2019/धार/भूरा

की आज्ञा का श्रम  
आदि का इन्तरे के  
पर प्रस्तुत  
15-4-19

वाली बाई

- पुनरीक्षणकर्ता

रमेश

- प्रत्यक्षी

आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 35 (3) मंडल भू-राजस्व संविधान


पुनरीक्षणकर्ता नके अधिवक्ता की ओर से निवेदन है कि :-

- ① यह कि, पुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका आजा दिनांक के नियत होकर बहल हेतु न्यायपत्र पर रखी गई थी।
- ② यह कि, बहल हेतु नियत होने की जानकारी के अभाव में एवं पुन अधिवक्ता के अन्तर्गत न्यायालय में बहल होने से अधिवक्ता माननीय न्यायालय के समक्ष विलम्ब से उपस्थित होने के कारण शहर पुनरीक्षण याचिका अधिवक्ता की अनुपस्थिति के कारण अदम पेशी में निरस्त कर दी गई है।
- ③ यह कि, अधिवक्ता की विलम्ब से उपस्थित होने का उचित एवं योग्य कारण होने से सकरण की उनकी अनुपस्थिति/गाफ की जाकर सकरण पुनः न्यायपत्र पर लिया जाना न्यायालय में आवश्यक है।
- ④ यह कि, आवेदक अधिवक्ता की ओर से यह आवेदन-पत्र अदम पूर्वक न्यायपत्र में प्रस्तुत है।

अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि शहर में पत्र हरीकार किया जाकर अदम पेशी में शरण पुन याचिका पुनः न्याय-पत्र पर लिये जाने का अवसर न्यायालय से सकरण करने की शक होवे।

इंदौर  
दिनांक :- 15/04/19

रमेश  
अध्याक्ष



राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग अ

2

राजस्व मंडल का प्रकरण क्रमांक: ....पुनर्स्थापन -0530/2019/धार/भू-रा.....

तहसील: .....

जिला: ....धार....

पुर्न/पुनर्विलोकन में राजस्व मंडल का प्रकरण : .....

आयुक्त के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक: .... ..

कलेक्टर के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक: .....

अनुविभागीय पदाधिकारी का प्रकरण क्रमांक : .....

तहसील का प्रकरण क्रमांक: .....

यदि कोई अन्य न्यायालय हो तो : ....R-2289/PBR/14,.....

वाद का विषय: ....पुनर्स्थापन ....

अधिनियम एवं धारा जिसके अंतर्गत प्रकरण

.....म.प्र.भू.रा.संहिता.....  
यहाँ प्रस्तुत हुआ है :

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
------------------	---------------------	--

आयुक्त संभाग / जिलाध्यक्ष, जिला....धार.... । .....के मूल/अपीलीय आदेश दिनांक : ...15/04/2019... के विरुद्ध ...बालीबाई...।...रमेश...।...अजय कानूनगो... के अभिभाषक द्वारा पुनर्स्थापन - पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है ।

प्रकरण में प्रथम सुनवाई दिनांक ...21/05/2019...है । जिसकी सूचना आपको एस.एम.एस. से दी जा चुकी है।

21-5-2019

*Handwritten signature*

आवेदक पक्ष से अभिभाषक श्री अजय कानूनगो अपेक्षित उन्हे पुनर्स्थापन आवेदन पत्र पर सुनागर्षी न्यायक्षेत्र में पुनर्स्थापन आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है। मूल प्रकरण क्रमांक R 2281-PBR/14 पुनर्स्थापन हेतु पुनः नुस्खा पर लिखा जाता है। यह प्रकरण समाप्त किया जाता है।

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*